न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 192/2017 दायरा दिनांक : 06.11.2017

उनवान

1— मांगीलाल 49 वर्ष पुत्र तेज्या उर्फ तेजमल, जाति कुम्हार, निवासी बटावदी, तहसील अन्ता, जिला बारां

2— महावीर पुत्र मांगीलाल, आयु 29 वर्ष, जाति कुम्हार, निवासी बटावदी, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री ओ पी मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या — 30/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण ने राजस्थान सरकार के खिलाफ एक

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं किया गया और न ही न्याय की मंशा को समझने का प्रयास किया गया और मनमाना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बिजोरा में निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार अन्ता से रिपोर्ट ली गई । उक्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी सिवाय चक दर्ज है जो खाल खद्दर होने के बाद पत्र अस्वीकार है । अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार का आयोजन पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा करवाया जाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए जिसका कि निर्णय में अभाव है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.09.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में थी तथा अपीलांट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये लोक अदालत में निर्णय पारित

किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । अपीलांटगण ने कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया था और न ही लोक अदालत में उपस्थित हुए थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 05.04.2017 को पीठासीन अधिकारी अवकाश/राज्य0 कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक 29.05.2017 को पेश हो । दिनांक 22.05.2017 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट के लिए तारीख 22.05.2017 नियत होने से दिनांक 22.05.2017 को पेश हो । और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2017 को ही निर्णय पारित कर दिया गया है जिसमें अपीलांट को दिनांक 22.05.2017 की कोई सूचना नहीं है एवं लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा